समक्ष एस.एस. निज्जर ए.सी.जे. & और एस.एस. **सारों, *जे.***

एच.सी. अरोड़ा, – ***याचिकाकर्ता***

बनाम

भारत संघ और अन्य, – ***उत्तरदाताओं***

सीडब्ल्यूपी संख्या *17908* साल *2006*

14 नवंबर, 2006

भारत का संविधान, 1950 - अनुछेद 226 और 235- जनहित याचिका- अनुच्छेद 124 (4), 124 (5) और 217 (1) के प्रावधान गलत व्यवहार या अक्षमता के आधार पर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने के लिए प्रदान करते हैं – क्या उच्च न्यायालय के पास संवैधानिक प्रावधानों का परीक्षण करने का अधिकार है कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है – याचिका यह निर्देश देते हुए खारिज कर दी गई कि इन मामलों को संसद या संसद से संबंधित कोई भी फोरम में पहले उजागर किया जा सकता था।

निर्णय, यह अधिक उचित होगा कि वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए मुद्दों को संसद या संसद से संबंधित किसी अन्य फोरम के समक्ष उजागर किया जाए। संसद या विधानमंडल के लिए किसी विशेष उम्मीदवार को चुनते समय मतदाताओं द्वारा उम्मीदवार की उपयुक्तता से संबंधित मामलों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विद्वान वकीलों द्वारा भारत के प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों को भेजे गए अभ्यावेदन के बाद, प्रेस में बयान जारी किए गए हैं जो महाभियोग के प्रावधानों को बरकरार रखते हुए न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में संशोधन करके सरकार के इरादे को दर्शाते हैं।. इसलिए, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है। हमारी सुविचारित राय है कि इन मामलों को संसद के समक्ष भी उत्तेजित किया जा सकता था।

(पैरा 3)

एच.सी. अरोरा, स्वयं एडवोकेट-याचिकाकार

निर्णय

एस.एस. निज्जर, ए.सी.जे.

(1) हमने अधिवक्ता, श्री एच.सी. अरोड़ा, , व्यक्तिगत रूप से उपस्थित याचिकाकर्ता को सुन लिया है तथा पेपर-बुक का अवलोकन भी कर लिया है।

(2) विद्वान वकील के द्वारा प्रार्थना में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4), (5) और अनुच्छेद 217(1) के प्रावधानों को रद्द करने के लिए सर्टियोरारी की प्रकृति में एक रिट जारी करने की मांग की जाती है, जिसमें सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग का प्रावधान है। विद्वान वकील का कहना है कि उपरोक्त प्रावधान भारत के संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी शामिल है। विद्वान वकील ने संसद में प्रचलित व्हिप के प्रयोग की प्रथा का समर्थन किया है। विद्वान वकील के अनुसार, जब किसी विशेष पार्टी के सांसदों को अनिवार्य व्हिप जारी किया जाता है, तो वे अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार अपने वोट का प्रयोग करने की स्वतंत्रता खो देते हैं। विद्वान वकील आगे कहते हैं कि भले ही अनिवार्य व्हिप जारी करने की प्रक्रिया को संविधान के दायरे से बाहर नहीं माना जाता है, फिर भी इसे निश्चित रूप से विनियमित करने की आवश्यकता होगी ताकि इसे महाभियोग की कार्यवाही में लागू न किया जाए। विद्वान वकील ने आगे कहा कि न्यायाधीशों पर महाभियोग के लिए उपरोक्त अनुच्छेदों में शामिल प्रावधान उन उद्देश्यों और कारणों के विपरीत होंगे जिनके लिए न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 लागू किया गया था। विद्वान वकील ने आगे कहा कि इस न्यायालय के पास संवैधानिक प्रावधानों का परीक्षण करने का अधिकार क्षेत्र होगा

कि क्या यह भारत के संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है। विद्वान वकील का कहना है कि संसदीय कार्यवाही ने अब वह स्थिति और पवित्रता खो दी है जो पहले प्राप्त थी। बड़ी संख्या में निर्वाचित संसद सदस्य या तो आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं या अतीत में आपराधिक कार्यवाही का सामना कर चुके हैं।

(3) हमने विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है। हमारी राय है कि यह अधिक उचित होगा कि वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए मुद्दों को संसद या संसद से संबंधित किसी अन्य फोरम के समक्ष उजागर किया जाए। संसद या विधानमंडल के लिए किसी विशेष उम्मीदवार को चुनते समय मतदाताओं द्वारा उम्मीदवार की उपयुक्तता से संबंधित मामलों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विद्वान वकील का कहना है कि उन्होंने भारत के प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों को अभ्यावेदन दिया है। विद्वान वकील द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन के बाद, प्रेस में बयान जारी किए गए हैं जो महाभियोग के प्रावधानों को बरकरार रखते हुए न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में संशोधन करने के सरकार के इरादे को दर्शाते हैं। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है। हमारी सुविचारित राय है कि इन मामलों को संसद के समक्ष भी उठाया जा सकता है।

(4) अंत में, विद्वान वकील का तर्क है कि महाभियोग प्रक्रिया की अनुचितता को इस तथ्य से प्रदर्शित किया जा सकता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत सुरक्षा भी उच्च न्यायालयों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उपलब्ध नहीं है, जबकि यह उच्च न्यायिक सेवा के लिए उपलब्ध है। यह फिर से, हमारी राय में, उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष उठाया जाने वाला मामला है।

(5) पूर्वोक्त कारणों से, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

अवंतिका
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा